कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक

बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश

संख्याः/ मा०-05/ सी० बी० (एम० ई०)/ 1782/2018-19 दिनांकः- 9/5/18

प्रबन्धक, डा० जगदीश मैमोरियल पब्लिक स्कूल रेलवे रोड - डिबाई

विषयः- **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।**

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 10.4.18 और इस सम्बंध में विद्यालय से पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं डा० जगदीश मैमोरियल पब्लिक स्कूल रेलवे रोड डिबाई बुलन्दशहर (पता सहित विद्यालय का नाम) को कक्षा 01 से 06 कक्षा तक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है:-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (सलंग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (सलंग्नक-दो) के उपलब्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 % तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालको को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जॉच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा-

(क) बालक का आयु प्रमाण न होनें पर

(ख) धर्म, ज़ाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा–

(1) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा मे न ही रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(2) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।

(3) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।

(4) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपलब्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।

(6) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और

(7) अध्यापक निजी अध्यापनद क्रिया–कलापों के निमित स्वयं को नहीं लगायेगा।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा। जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

11. विद्यायल प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किए गए राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

12. उक्त आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ किये जाते है कि यदि कोई तथ्य गोपन असत्य अथवा छिपाया गया है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माने जायेगे जिसका सम्पूर्ण उत्तरादायित्व प्रबन्ध समिति का होगा। उक्त प्रमाण पत्र मा0 न्यायालय में प्रयुक्त नही होगा।

भवदीय

जिला विद्यालय निरीक्षक
बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।